पटना नगर निगम
नगर विकास प्रमण्डल जलापूर्ति
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

अल्पकालीन आपूर्ति कोटेशन सूचना सं0–05 वर्ष–2025–26

आवश्यकता को देखते हुए स्थानीय क्रय समिति द्वारा लिए गये निर्णय के आलोक में उक्त कोटेशन हेतु समुचित श्रेणी में निबंधित संवेदकों/ख्याति प्राप्त फर्मों/कम्पनियों से दिनांक–09.05.2025 से दिनांक–14.05.2025 के अपराह्न 3:00 बजे तक निर्देशानुसार निम्नांकित सामग्री से संबंधित सूची अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं एवं मुहरबंद कोटेशन दिनांक–15.05.2025 को अपराह्न 3:00 बजे तक प्राप्त किया जाएगा एवं उसी दिन अपराहन 4:00 बजे कोटेशन दाताओं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोला जायेगा।

कोटेशन पत्र के साथ कार्यपालक अभियंता, जलापूर्ति प्रमंडल, पटना नगर निगम, पटना के नाम से जमानत की राशि के रूप में अद्यतन रु0–2,500/– (दो हजार पांच सौ) बैंक ड्राफ्ट निर्गत होना चाहिए। (यह बैंक ड्राफ्ट कोटेशन में प्रकाशित होने के बाद का खरीदा होना चाहिए।) बैक ड्राफ्ट कोटेशन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। असफल कोटेशनदाताओं का जमानत की राशि वापस कर दी जायेगी।

सामग्री की विवरणी निम्न प्रकार हैं–

Sl. No.	Item	Quantity	Rate	Amount
1	2	3	4	5
1	60 H.P. Submersible Pump	Each		
2	Cut Out 500 Amp. set	Each		
3	Motor Starter	Each		

विशेष शर्त्त :–

1. अद्योहस्ताक्षरी या विभागीय सक्षम पदाधिकारी को बिना कारण बताए कोटेशन रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
2. कोटेशनदाताओं को अपना दर अंक एवं शब्दों में उद्धृत करना है।
3. दर सभी प्रकार के करों को लेकर अंकित किया जायेगा।
4. उद्धत दर कार्य स्थल पर समानों के ढुलाई को जोड़कर किया जायेगा
5. 60 H.P. Submersible Pump विश्वसनीय कम्पनी का होना चाहिए।

6. आपूर्ति की गयी सामग्री गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए।
7. कोटेशन के साथ जीएसटी का प्रमाण पत्र देना होगा।
8. कोटेशनदाताओं को G.S.T. clearenace certificate देना अनिवार्य होगा।
9. भुगतान संबंधी प्रक्रिया निधि के उपलब्धता के पश्चात् ही होगा।
10. कोटेशन प्राप्ति/खोलने की तिथि के दिन किसी कारणवश सरकारी अवकाश घोषित हो जाने पर यह तिथि अगले कार्य दिवस को स्वतः निश्चित समझा जायेगा।
11. **घोषणा पत्र** :–आपूर्तिकर्त्ता इस शर्त्त के आलोक में ही आपूर्ति करेंगे तथा इस आशय का घोषणा पत्र कोटेशन् के साथ संलग्न करेंगे कि–
    (i) कोटेशन में अंकित सामग्रियों का बाजार दर से अनुरूप तथा MRP से कम अंकित किया गया है एवं जिनका MRP नहीं है उसका दर बाजार दर से कम अंकित किया है यदि भविष्य में दर बाजार दर तथा शर्त्त के अनुसार सही नहीं पाया जाता है तो उसकी वसूली आपूर्तिकर्त्ता से की जायेगी।
    (ii) किसी सरकारी या गैर–सरकारी संस्थान में कालीसूची में दर्ज नहीं रहने संबंधी शपथ–पत्र कोटेशन के साथ संलग्न करेंगे।
    (iii) कोटेशन में अंकित सामग्रियों का आपूर्तिकर्त्ता द्वारा किसी भी सरकारी एवं गैर–सरकारी संस्थान में इससे कम दर की आपूर्ति नहीं किया जा रहा है। इस आशय का शपथ–पत्र कोटेशन के साथ संलग्न करेंगे।
12. विशेष जानकारीहेतु अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है, अथवा वेबसाईट www.state.bihar.gov.in/ pmc.bihar.gov.in पर भी देखा जा सकता है।

ह0/–
कार्यपालक अभियंता,
नगर विकास प्रमंडल, जलापूर्ति
पटना नगर निगम क्षेत्र, पटना।

ज्ञापांक 1194/जला0 दिनांक 9/5/025

प्रतिलिपिः– मुख्य नगर अभियंता/ अपर नगर आयुक्त (ई–गवर्नेश) पटना नगर निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

09.05.25

कार्यपालक अभियंता,
नगर विकास प्रमंडल, जलापूर्ति
पटना नगर निगम क्षेत्र, पटना।